

लिखा

(2)

राजस्थान सरकार  
राजस्व (ग्रुप-2) विभाग

फ्रमांक प. 7(32)राजस्व-2/97/पार्ट-

जयपुर, दिनांक: १९/८/९९.

1. समर्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
2. राजस्व जिला फ्लेक्टर, राजस्थान।

**विषय:-** तहसील स्तर पर लैण्ड रिकार्ड कम्प्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट के अन्तर्गत डेटा के उपयोग एवं सुरक्षा, जमाबद्दी को आदिनांक करना एवं कम्प्यूटराइज्ड जमाबद्दी की नकल दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

भारत सरकार से शतप्रतिशत अनुबान आधार पर केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्वत्तर्गत राज्य के ३२ जिलों में लैण्ड रिकार्ड कम्प्यूटराइजेशन का कार्य चल रहा है। १९ तहसीलों में डेटा एवं शीघ्र पूरा किया जाना है। जिला गुरुग्राम की जिल तहसीलों में डेटा-एन्ट्री का कार्य पूरा हो गया है वहां डेटा एवं शीघ्र को प्रमाणित किये जाने का कार्य भी यथा शीघ्र पूरा किया जाना है जिससे पटवारियों द्वारा निश्चित रूप से उनके स्तर पर जारी किये जाने वाली जमाबद्दी की नकलों के साथ-साथ तहसील गुरुग्राम पर भी कम्प्यूटराइज्ड जमाबद्दियों की नकल आम जनता को उपलब्ध हो रही। इस हेतु निम्नप्रकार सामान्य दिशा-निर्देश जारी किये जा रहे हैं:-

(1) उपकरणों की उपलब्धता एवं प्रशिक्षण:

1. तहसील स्तर पर हार्डवेयर राजस्व भण्डल द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
2. हार्डवेयर इंस्टलेशन का कार्य एन.आई.सी. द्वारा सम्पन्न किया जायेगा।
3. तहसील स्तर पर पटवारी और भू-अभिलेख निरीक्षक में से ३ से ५ व्यक्तियों को रिसोर्स परसन (आर.पी.) के रूप में चिह्नित किया जायेगा।

इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था एन.आई.सी. द्वारा की जायेगी। प्रशिक्षण पश्चात उन्हें दक्षता प्रमाण-पत्र दिया जायेगा। एक साथ ३ पटवारियों से कार्य करवाया जायेगा। उनका अवकाश इस प्रकार स्थीरूप किया जायेगा कि कम से कम २ पटवारी आर.पी. के रूप में कम्प्यूटर कक्ष में प्रतिदिन उपस्थित रहें।

4. जिला स्तर पर जिल तहसीलों की डेटा एन्ट्री का कार्य पूरा हो गया है, उनको आदिनांक किये जाने की कट-आफ-डेट १५ जून निश्चित की गई है। जिला स्तर पर जमाबद्दियों को तत्काल आदिनांक करने की कार्यवाही की जावें।

19/8/99 (2) कम्प्यूटराइज्ड जमाबद्दी डेटा की सुरक्षा:

लैण्ड रिकार्ड कम्प्यूटराइजेशन के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है। तहसील स्तर पर कम्प्यूटराइज्ड नकल दिये जाने के लिए नोडल अधिकारी तहसीलदार होंगे।

कम्प्यूटराइज्ड जमाबद्दी की नकल जारी किये जाने से पूर्व संबंधित तहसीलदार इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी करेंगे कि डेटा का सत्यापन

U2/99-4/99

(19)

- भू-अभिलेख वियमावली के अनुसार कर लिया गया है और यह डेटा अभियोग के लिये तैयार व उपलब्ध है (परिशिष्ठ- "क")।
- उपयोग के सम्पूर्ण तहसील वज्र पूर्णतया प्रगणित डेटा जो 15 जून, 99 तक अदिनांक है, की एक प्रति तहसीलदार भू-अभिलेख शाया, एक प्रति ग्रम पंचायत है, एवं हल्का पटवारी को उपलब्ध छारयेगे।
- उपरील रतर पर कम्प्यूटर को ऑपरेट पिये जाने हेतु इसोस परसन में से किसी 3 योग्य पटवारियों को तहसीलदार द्वारा अधिकृत किया जायेगा।
- जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को तहसीलदार द्वारा अधिकृत किया जायेगा, उन्हें कोड पासवर्ड व पासवर्ड एल.आई.सी. एवं जिला स्तरीय नोडल अधिकारी द्वारा परिशिष्ठ- "ख" के अनुसार दिया जायेगा।
- उपरील रतर पर कर्मचारी/अधिकारी गोपनीय कोड एवं पासवर्ड नेट ही कम्प्यूटर के अधिकृत कर्मचारी/अधिकारी गोपनीय कोड एवं पासवर्ड नेट ही कम्प्यूटर के डेटा का उपयोग कर सकेंगे।
- कोड एवं पासवर्ड की गोपनीयता बनाये रखने की गम्भारी संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी की होगी।
- यदि संबंधित तहसीलदार/कर्मचारी को यह आंभास हो जाता है कि उनके गोपनीय कोड एवं पासवर्ड की जानकारी किसी अन्य को हाँ गयी है तो वह स्वयं पासवर्ड को परिवर्तन करने के लिए अधिकृत होगा। इसकी सूचना सील बद्द तिफाए में तहसीलदार के पास सुरक्षित रखी जायेगी।
- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एवं नोडल अधिकारी कर्मचारियों का निम्न प्रकार व्योग रखेगे:-
- अ- अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी का नाम
  - ब- पदनाम
  - स- पदस्थापन
  - द- अधिकृत किये जाने का अदेश फ्रमांक एवं दिनांक
  - य- कार्यमुक्त किये जाने का दिनांक

### (3) लोंग फाईल:

- जब भी फाईल डेटा के किसी भी फील्ड में कोई परिवर्तन किया जायेगा तो इस परिवर्तन को एवं परिवर्तन से पूर्व की सूचना को कम्प्यूटर में एक पृथक फाईल में रखा जाएगा। जब भी कोई वियाद इस परिवर्तित सूचनाओं के कारण होगा तो इस फाईल में संग्रहित सूचना से पता लगाया जा सकेगा कि परिवर्तन से पूर्व क्या सूचना संग्रहित थी। इस फाईल में निम्न सूचना संग्रहित होगी:-
- जिस किसी फील्ड में परिवर्तन किया गया है उस फील्ड का नाम
  - परिवर्तन से पूर्व फील्ड का डेटा
  - परिवर्तन के बाद फील्ड का डेटा
  - परिवर्तन वरने वज्र दिनांक
  - अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी का कोड

### (4) सुरक्षा प्रबन्ध फाईल:

- कम्प्यूटर के डेटा को उपयोग में लेते हुए कम्प्यूटरीकृत नकलें जारी करना, तथा उन्हें अपडेशन इत्यादि कार्य को सम्पादित करने के लिए अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी की पूर्ण जागराती उनकी प्रबन्ध फाईल में रखी जायेगी। जब तक अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी का पंजीयन इस फाईल में नहीं होगा तब तक अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी डेटा को उपयोग में वही ले सकेगा।

- 2- अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी के पंजीयन का कार्य जिला स्तर पर किया जायेगा। इस फाईल में निम्नानुसार सूचना संधारित की जायेगी:-
1. अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी का नाम
  2. पदनाम
  3. पदस्थापन
  4. प्रोजेक्ट में जुड़ने का दिनांक
  5. अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी का कोड
  6. अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी का पासवर्ड
  7. सुरक्षा का स्तर (1, 2, 3)
  8. प्रोजेक्ट से कार्यमुक्त होने का दिनांक
  9. संक्रिया या विषिक्षण

(5) जमाबंदियों को आदिनांक किये जाने के संबंध में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया:-

- 1- अनुच्छेद नं. (1)4 के अनुसार दिनांक 15 जून, 1999 तक जमाबंदी अद्यतन था कार्य कम्प्यूटर में फीड कर दिया जावेगा। इसके बाद नामान्तरकरण अर्थात् अखूदर लक स्थीयूत, नवम्बर के प्रथम सप्ताह में पटवारियों की मीटिंग के दिन अथवा तुरन्त बाद के दिनों में फीड की जाकर जमाबंदी को अद्यतन किया जावे।
- 2- कम्प्यूटराइज्ड जमाबंदियों की लकल दिये जाने हेतु यह आवश्यक है कि जमाबंदियों में होने वाले परिवर्तन जो क्लेवल नामान्तरकरण द्वारा ही किये जा सकते हैं, का इन्ड्राज प्रति ग्राह किया जावे। अतः तहसील स्तर पर प्रत्येक माह में सम्पन्न होने वाली पटवारियों की बैठक में पटवारीगण उनके पास बैठक से पूर्व तक के उपलब्ध समस्त तस्वीकशुदा नामान्तरकरणों की तहसील परत साय लायेगे और ऑफिस कानूनों को उपलब्ध करवायेंगे। ऐसे समस्त जमाकराये जाने वाले नामान्तरकरणों की तहसील परत के पृष्ठ भाग पर हल्का पटवारी द्वारा यह नोट अंकित किया जायेगा-
- "इस नामान्तरकरण का अमलदारामद दिनांक..... को निम्न प्रकार से जमाबंदी के खाता नम्बर..... में कर दिया गया है।"
- (नामान्तरकरण के अमलदारामद पर जमाबंदियों में लगाये गये नोट का विवरण जो परत पटवार में लगाया गया है) उ. पटवारी, जाँच हस्ताक्षर भू-अभिलेख निरीक्षक।
- 3- ऑफिस कानूनों बैठक में प्राप्त नामान्तरकरण का रजिस्टर संधारित करेगा। इसका इन्ड्राज कम्प्यूटर सैल में करने हेतु कम्प्यूटर कक्ष में भिजवायेंगे। ऑफिस कानूनों द्वारा ग्राम्यार निम्नानुसार रजिस्टर संधारित किया जायेगा:-

क्र.सं.	नाम ग्राम पटवारी से प्राप्त नामान्तरकरण का दि.	कम्प्यूटर कक्ष में भिजवाने का दिनांक	अधिकारी कर्मचारी/रिसोर्स परसन के हस्ताक्षर	कम्प्यूटर कक्ष से प्राप्त नामान्तरकरण का दि.	हस्ताक्षर ऑफिस कानूनों	
1	2	3	4	5	6	7

तहसीलदाश अपने निधारित गोपनीय कोड का प्रयोग कर कम्प्यूटर उपयोग हेतु रिसोर्स परसन को अनुमति देगा तत्पश्चात् रिसोर्स परसन स्वयं के लिए निधारित शोपनीय कोड का प्रयोग करने के बाद कम्प्यूटर में नामान्तरकरण फीड करने की कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

(२५)

6. रिसोर्स परसन द्वारा नामान्तरकरणों को कम्प्यूटर में फीड किया जायेगा। रिसोर्स परसन (आर.पी.) संबंधित आते में दू-ब-दू वही नोट अंकित करेगा जो तक सामग्री नाम एवं संबंधित हल्का पट्ट्यारी द्वारा लगाया गया है। तत्पश्चात उस आते का नोट साहत जमाबद्दा भाषा द्वारा निकालकर प्रिंट व नामान्तरकरण की सहसील परत ऑफिस कानूनगों के पास भिजायाइ जायेगी। ऑफिस कानूनगों प्रिंट का नामान्तरकरण से निलाभ कर प्रिंट आउट पर अपने हस्ताक्षर कर कम्प्यूटर सैल को लौटा देगा।
7. यदि गूल नामान्तरकरण एवं प्रिंट आउट में भिन्नता आती है तो ऑफिस कानूनगों कम्प्यूटर ऑपरेटर के ध्यान में लायेगा। कम्प्यूटर ऑपरेटर शुट्ट कर प्रिंट आउट ऑफिस कानूनगों को भिजायायेगे। यह प्रक्रिया को शुद्ध कर प्रिंट आउट ऑफिस कानूनगों को भिजायेगे। यह प्रक्रिया निरन्तर जारी रहेगी जब तक कि शुद्ध प्रविष्टि नहीं हो जाती।
8. नामान्तरकरण की सहसील प्रति लैण्ड रिकार्ड रूल्स 1957 की प्रक्रिया के अनुसार ऑफिस कानूनगों द्वारा संधारित किये जायेगे व शुद्ध प्रिंट आउट जिस पर ऑफिस कानूनगों के जांच के हस्ताक्षर है, वो कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रामवार व्यवस्थित कर ऑफिस कानूनगों को सम्भला देंगे जिनको ऑफिस कानूनगों ग्रामवार संधारित कर फाईल में रखेंगे।

(6) तहसील स्तर पर कम्प्यूटराईज्ड जमाबद्दी की नकल जारी करने वाले प्रक्रिया:

1. कम्प्यूटराईज्ड जमाबद्दी की नकल प्राप्त करने की प्रक्रिया "सिंगल विन्डो रिस्ट्रम" पर आधारित होगी।
2. आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ विद्यमानुसार टिकिट व प्रतिलिपि शुल्क लगाकर रिसोर्स परसन को देना होगा।
3. कम्प्यूटराईज्ड जमाबद्दी की नकल उसी दिन आवेदक को उपलब्ध करायी जायेगी।
4. कम्प्यूटराईज्ड जमाबद्दी की नकल उपलब्ध कराये जाने हेतु लैण्ड रिकार्ड रूल्स में विधारित शुल्क अर्जेन्ट (आवश्यक) प्रतिलिपि देने हेतु लिया जायेगा।
5. रिसोर्स परसन द्वारा उनके पास नकल आवेदन-पत्रों के संदर्भ में निम्न सूचना कम्प्यूटर में परिशिष्ठ-ग के अनुसार संधारित की जायेगी:-

अधिकृत कर्मचारी का कोड	आवेदक का नाम व ग्राम	आता नम्बर	प्रार्थना पत्र देने का दिनांक	कम्प्यूटर सैल को प्रार्थना पत्र प्राप्त होने का तिथि	आवेदन पत्र की श्रेणी आवश्यक	प्रतिलिपि शुल्क	नकल जारी किये जाने की दि. एवं ड.
1	2	3	4	5	6	7	8

6. कम्प्यूटर ऑपरेटर प्रार्थना पत्र में दिये गये विवरण अनुसार प्रिंट आउट निकालकर अपने हस्ताक्षर कर तत्काल तहसीलदार/नायबतहसीलदार के पास भिजायेगे।
7. रिसोर्स परसन उस पर तहसीलदार/नायब-तहसीलदार के हस्ताक्षर करवाकर उसी दिन नकल जारी करेंगे।

यह प्रगति किया जाता है कि गाँव..... तहसील.....  
सभ्यता..... की कम्प्यूटरीजून जगाबदी को भू-अभिलेखों के लियायुक्तार  
प्रदानी हास 100%, भू-अभिलेख सिरीकाण हास 25%, तहसीलदार हास 5% दिवांक.....  
बो प्रगति कर दिया गया है, तथा इस गाँव की जगाबदी के डेटा अधिक  
उपयोग के लिए तैयार थे उपलब्ध है।

दिवांक:

हस्ताधार मय श्रीमा  
(तहसीलदार)

श्री— परमाम— परमाम—  
को दिवांक — को इस पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि उनके  
द्वारा कम्प्यूटर को ऑपरेट करने, भू-अभिलेख के डेटा में उपयोग लेते हुए नवाचल जारी  
करना, जागाज्ञायकरण को कम्प्यूटर में डालके हृत्यादि कार्य को सम्पादित करने के लिए  
हृष्टे एक गोपनीय कोड एवं पासवर्ड इस पत्र द्वारा दिया जा रहा है।

इस कोड एवं पासवर्ड की दिनांक — के बाद गोपनीयता खाले रखनी  
यी पूर्ण जिम्मेदारी श्री— की होगी।

इस कोड एवं पासवर्ड की दिनांक के बाद उपलोग ने लेते हुए किसी भी तरह का  
कम्प्यूटर के डेटा में पारेवांग की पूर्ण जिम्मेदारी श्री— की होगी।

उदाहरण: श्री हिम्मतसिंह का नोड: Himmat एवं पासवर्ड: Singh


AUG.19 '99 12:43PM

- 8- तहसीलदार/नायर्स तहसीलदार के कार्यालय ने उपरियत नहीं होने पर तहसील राजस्व लेखाकार/रीहर से हस्ताक्षर कर नकल जारी कर दी जायेगी।


गोट-

- ⇒ जमावद्दी की नकले समावालार रूप से हल्का पटवारी द्वारा लैण्ड रिकार्ड रुल्स के बियम 28 के अन्वर्गत पूर्व की भौति जारी की जाती रहेगी।  
 ⇒ जिला कलेक्टर लैण्ड रिकार्ड कम्प्यूटराइजेशन कार्य की नियमित रूप से समीक्षा करेगी।  
 ⇒ उपरोक्त दिशा-निर्देशों के संबंध में किसी मार्गदर्शन की आवश्यक होने पर निवाप्तक, राजस्व मण्डल अथवा राज्य सरकार को संदर्भ किया जाये।

कृपया प्राप्ति रखी भिजावाएँ।

  
 (कृष्ण भट्टाचार्य)  
 प्रमुख शासन सचिव, राजस्व

- प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं "आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
- 1- निवाप्तक, राजस्व मण्डल, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त दिशा-निर्देशों के द्वारा में कार्यवाही सुनिश्चित कर विभाग को प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रो अवगत कराए।
  - 2- निवाप्तक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।
  - 3- जिला सूचना उधिकारी, एन.आई.सी., जयपुर।
  - 4- निजी राधिव, गाननीय अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, अजमेर।

  
 उप शासन सचिव

(21)

MUG. 19 '93 12:45PM

00 91 141 380658 P.1

परिशिष्ट - "ग"

रिसोर्स परशन द्वारा उक्ते पास नकल आवेदन-पत्रों के संबंध में जिभज सूचना संधारित की जायेगी:-

- अधिकृत कर्मचारी का कोड
- आवेदक का नाम, एवं ग्राम
- खाता नम्बर
- प्रार्थना-पत्र देने का दिनांक
- प्रार्थना-पत्र देने का समय
- नकल का प्रकार
- जमाबद्दी
- नामान्तरकरण
- प्रार्थना-पत्र की श्रेणी
- साधारण
- आवश्यक
- प्रतिलिपि शुल्क
- नकल जारी किये जाने की तारीख एवं समय

(22)